

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :- 232/2025

वीरमती

—अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिए प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं विभाग, राजस्थान, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निदेशक (अराजपत्रित) एवं अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, तिलक नगर, जयपुर।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ।
5. ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, भादरा, जिला हनुमानगढ।
6. शर्मिला, एएनएम, उपस्वास्थ्य केन्द्र, उडाणा, पीएचसी भीखनेरा, जिला बीकानेर।

—प्रत्यर्थागण

प्रस्तुत करने की दिनांक : 22.01.2025
आदेश की दिनांक : 28.01.2025

उपस्थिति :-

अपीलार्थी की ओर से : श्री मंजीत गोदारा, अधिवक्ता
प्रत्यर्था विभाग की ओर से : श्री हेमन्त परमार, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष : अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम-1976 की धारा-4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. इस अपील में अपीलार्थी का आलोच्य स्थानांतरण आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक-1) को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी जो एएनएम उप

स्वास्थ्य केन्द्र, न्यांगल, ब्लॉक भादरा, हनुमानगढ से उपस्वास्थ्य केन्द्र, उदाणा, सीएचसी भीखनेरा, बीकानेर किया है।

3. अपीलार्थी का मुख्य तर्क रहा है कि अपीलार्थी निम्न वेतन भोगी कार्मिक है। अपीलार्थी का स्थानांतरण एक जिले से दूसरे जिले में किया गया है। ऐसे में अपीलार्थी को असुविधा होगी। उन्होंने यह भी तर्क किया है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण राजस्थान पंचायती राज (अंतरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियम 8(iii) के उल्लंघन में जारी किया है।
4. हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।
5. हमने अपीलार्थी के द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया। हम पाते हैं कि अपीलार्थी के स्थानांतरण आदेश में बिन्दू संख्या 10 निम्न प्रकार से अंकित है :-

“मन्त्रीमण्डल सचिवालय राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प. 11(1एमएम)/2018 जयपुर, दिनांक 22.11.2021 के द्वारा चिकित्सा मन्त्री महोदय को पंचायती राज विभाग के अधीनस्थ चिकि० एवं स्वा० विभाग का स्वतंत्र प्रभार आवंटित है। उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।”

6. हम पाते हैं कि अपीलार्थी का स्थानांतरण आदेश सक्षम अधिकारी स्तर पर अनुमोदित है। ऐसे में अपीलार्थी के आदेश में राजस्थान पंचायती राज (अंतरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियम 8(iii) उल्लंघन होना नहीं पाते हैं। अपीलार्थी का स्थानांतरण में किसी प्रकार की दुर्भावना रही हो, यह प्रकट नहीं होता है। यह नियोक्ता पर निर्भर करता है कि किसी कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर लेना चाहता है। ऐसे प्रशासनिक आदेश में इस अधिकरण द्वारा हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।
7. उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम इस अपील में कोई बल होना नहीं पाते हैं। अतः अपील, मय स्थागन प्रार्थना-पत्र पर खारिज की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(अनन्त भण्डारी)
सदस्य (न्यायिक)